CIRCULAR

PFRDA/2024/03/REG-POP/03 Date: 11th March, 2024

To,

The Points of Presence registered under Regulation 3 (1) (iii) of the erstwhile PFRDA (Point of Presence) Regulations, 2018

Subject - Surrender of existing Certificate of Registration (CoR) issued under Regulation 3 (1) (iii) of the erstwhile PFRDA (Point of Presence) Regulations, 2018 *i.e. National Pension System (NPS) – Distribution and servicing only for own employees and other personnel either through physical or online platforms* and seeking new registration, or be associated with another eligible Point of Presence (PoP), as the case may be.

1. This is with reference to the provisions of Regulation 3(1) of the PFRDA (Point of Presence) Regulations, 2018 (as amended vide notification dated 10.01.2024), hereinafter referred to as the "Regulations".

Proviso to sub-regulation (1) of the Regulation 3 states that:

"Provided that the entity(s) already registered for distribution and servicing only its own employees and other personnel, either through physical or online platforms, prior to these amendments, shall surrender its certificate of registration, and

a. seek registration or authorization in such manner as may be directed by Authority; or

b. be associated with a point of presence, for its employees who are subscribers, within the time period so directed."

2. Accordingly, the existing PoP(s) registered with the Authority for distribution and servicing for NPS to its own employees and other personnel, either through physical or online platforms, prior to the aforementioned amendments, shall undertake below-mentioned compliances within the time period, hereby stipulated:

(i) Surrender their existing certificate of registration issued under regulation 3 (1) (iii) of the erstwhile PFRDA (PoP) Regulations, 2018 at the earliest, but not later than **30th September 2024**; and may *either*

बी - १४/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय ,नई दिल्ली - 110 016
दूरभाष: 011 - 26517501, 26517503, 26133730 फैक्स: 011 – 26517507, वेबसाइट: www.pfrda.org.in

B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi – 110 016
Phone : 011 - 26517501, 26517503, 26133730 Fax: 011 – 26517507 website: www.pfrda.org.in

(a) Seek new registration under Regulation 3(1) (a) of the amended Regulations subject to meeting the eligibility criteria as specified under Regulation 5 thereof; *or*

(b) Shall continue to be associated for an interim period and service its employees who are NPS subscribers, and ensure timely transfer of all these subscribers to such other eligible PoPs at the earliest, before the surrender of its certificate of registration to the Authority.

3. PoPs are advised to ensure submission of Annual Compliance Certificate, Compliance Report / Audit Reports (as required to be submitted by them in compliance to PoP regulations/guidelines applicable to them), before surrender of CoR issued to them under PoP Regulations 2018.

4. All the concerned PoPs are advised to take note of the above and ensure compliance within the stipulated timeline.

5. A copy of the aforementioned amended Regulations is placed on PFRDA's website at (https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2861.)

6. This Circular has been issued in exercise of the powers conferred under Section 14(1) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.

ASHISH KUMAR BHARATI

Digitally signed by ASHISH KUMAR BHARATI

(Ashish Kumar Bharati)
General Manager

CC : To all the PoPs and concerned stakeholders

बी - १४/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय ,नई दिल्ली - 110 016
दूरभाष: 011 - 26517501, 26517503, 26133730 फैक्स: 011 – 26517507, वेबसाइट: www.pfrda.org.in

B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi – 110 016
Phone : 011 - 26517501, 26517503, 26133730 Fax: 011 – 26517507 website: www.pfrda.org.in

परिपत्र

पीएफआरडीए/2024/03/आरईजी-पीओपी/03 **दिनांक : 11 मार्च, 2024**

प्रति,

पूर्ववर्ती पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के विनियमन 3 (1) (iii) के तहत पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व

विषय : पूर्ववर्ती पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के विनियम 3(1)(iii) अर्थात *राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) - केवल अपने कर्मचारियों तथा अन्य कार्मिकों हेतु भौतिक या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरण और सर्विसिंग* - के अंतर्गत जारी विद्यमान पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का समर्पण और नए पंजीकरण प्राप्त करना, अथवा किसी अन्य पात्र उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) से जुड़ना, जैसा भी मामला हो।

1. यह, पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 (दिनांक 10.01.2024 द्वारा यथासंशोधित) और विशेषतया **विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (क)** के प्रावधान के संदर्भ में है।

   संशोधित विनियमों के विनियम 3(1) का परंतुक निम्नानुसार है :

   " परन्तु इन संशोधनों से पहले भौतिक या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से केवल अपने कर्मचारियों और अन्य कर्मियों के लिए वितरण और सेवाओं हेतु पंजीकृत संस्थाएं, अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस लौटाएंगी, और

   (क) प्राधिकरण द्वारा निर्देशित तरीके से पंजीकरण या प्राधिकार प्राप्त करेंगी अथवा ;

   (ख) इस प्रकार निर्देशित समयावधि के भीतर अपने उन कर्मचारियों, जो अभिदाता हैं, के लिए उन्हें उपस्थिति अस्तित्व के साथ संबद्ध किया जाएगा' ।

2. तदनुसार, उपर्युक्त संशोधनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए *इन संशोधनों के पहले से ही, भौतिक या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल अपने कर्मचारियों तथा अन्य कार्मिकों हेतु एनपीएस वितरण और सर्विसिंग हेतु,* प्राधिकरण के साथ पंजीकृत, विद्यमान पीओपी द्वारा यहाँ निर्धारित अवधि के भीतर निम्नलिखित अनुपालनों को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है :

   i. पूर्ववर्ती विनियमों के विनियम 3(1)(iii) के अंतर्गत जारी किए गए उनके विद्यमान पंजीकरण प्रमाणपत्र को, जल्द से जल्द किन्तु 30 सितंबर 2024 के पहले समर्पित करना होगा, अन्यथा:

(a) विनियमों के विनियम 3(1)(क) (यथासंशोधित) के अंतर्गत नए पंजीकरण के लिए अनुरोध कर सकतें हैं, जो इन विनियमों के विनियम 5 (यथासंशोधित) के अंतर्गत निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन होगा; या

(b) अंतरिम अवधि के लिए संबद्ध जारी रखेंगे और अपने कर्मचारियों को सेवा प्रदान करेंगें जो एनपीएस ग्राहक हैं, तथा अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र को समर्पित करने से पहले, ऐसे योग्य पीओपी में सभी अभिदाताओं का यथाशीघ्र अंतरण सुनिश्चित करेंगे।

3. पीओपी को सलाह दी जाती है कि पीओपी विनियम 2018 के तहत, उन्हें जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को समर्पण से पहले वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र, अनुपालन रिपोर्ट/ऑडिट रिपोर्ट (जैसा कि उनके लिए लागू पीओपी विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है), प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4. सभी संबंधित उपस्थिति अस्तित्वों को इस पर ध्यान देने और समय-सीमा के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।

5. उपर्युक्त संशोधित विनियमों की एक प्रति पीएफआरडीए की वेबसाइट https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2861 पर उपलब्ध है।

6. यह परिपत्र पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

ASHISH KUMAR BHARATI
Digitally signed by ASHISH KUMAR BHARATI

(आशीष कुमार भारती)
महाप्रबंधक

प्रति: सभी पीओपी और संबंधित हितधारकों के लिए

बी - १४/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय ,नई दिल्ली - 110 016
दूरभाष: 011 - 26517501, 26517503, 26133730 फैक्स: 011 – 26517507, वेबसाइट: www.pfrda.org.in

B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi – 110 016
Phone : 011 - 26517501, 26517503, 26133730 Fax: 011 – 26517507 website: www.pfrda.org.in